न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2020-00307RAAJodhpur2020-158RTA225 Santosh Kanwar Vs Govindsingh etc

संतोष कंवर पुत्री स्व. श्री दलपतसिंह पत्नी अमानसिंह
जाति राजपूत, निवासी- ग्राम हंनवत नगर{देड़ा}
तहसील सेखाला, जिला जोधपुर, हाल निवासी-
मकान संख्या 3 व्यास कॉलोनी के सामने एयरफोर्स
कॉलोनी जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

01. गोविंदसिंह पुत्र दलपतसिंह
02. विरेन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
03. माडूदेवी पत्नी अखाराम, जाति गुरु, निवासी ग्राम देड़ा, तहसील सेखाला जिला जोधपुर।
04. चम्पाराम पुत्र काछबाराम
05. गणेशराम पुत्र दमाराम
06. राधाकिशन पुत्र चिमाराम
07. मनोहरराम पुत्र चिमाराम
सभी जातियान् माली, निवासीगण- ग्राम बालेसर, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।
08. मेहताब सिंह पुत्र कानसिंह
09. अभयसिंह पुत्र कानसिंह
10. इन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह
11. मनोहरसिंह पुत्र कानसिंह
सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- ग्राम अलसीदास तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
12. बागाराम पुत्र दुर्गाराम
13. देवाराम पुत्र दुर्गाराम
14. तगाराम पुत्र दुर्गाराम
15. बिंजाराम पुत्र दुर्गाराम
सभी जातियान् कुम्हार, निवासीगण- ग्राम अलीदास नगर, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

16. उप पंजीयक सेखाला, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 166/2020 संतोष कंवर बनाम गोविंदसिंह इत्यादि

उपस्थित-
श्री नाहरसिंह सोलंकी, श्री पुष्पेन्द्रसिंह,, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री प्रेम दुगर,श्री मनोज प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. एक, चार से सात
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सोलह व सत्रह

नि र्ण य

दिनांक : 27 जुलाई 2023

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 166/2020 अनवान संतोष कंवर बनाम गोविंदसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 11 दिसंबर 2020 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीनी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 39 रकबा 05 बीघा 17 बिस्वा ग्राम मोतीसर तहसील सेखाला, खसरा नं. 63 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 185 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 63/1 रकबा 0.03 बीघा गैर मुमकिन ढाणी, ग्राम देडा, तहसील सेखाला, खसरा नं. 173 रकबा 96.18 बीघा, खसरा नं. 173/1 रकबा 30 बीघा ग्राम हनवंत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नगर, खसरा नं. 81 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा ग्राम अलीदास नगर तहसील सेखाला के संबंध में खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से अस्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थीनी की पैतृक संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है। वादीनी के दादा पाबूदानसिंह के कब्जा काश्त की भूमि वक्त सेटलमेंट दलसिंह उर्फ दलपतसिंह पुत्र पाबूदानसिंह एवं खुशालसिंह वल्द धोकलसिंह के नाम दर्ज हुई।खुशालसिंह वल्द धोकलसिंह के अविवाहित फौत होने पर उक्त विवादग्रस्त भूमियॉ दलसिंह उर्फ दलपतसिंह के नाम दर्ज हुई, दलसिंह उर्फ दलपतसिंह वादीनी/अपीलार्थीनी के पिता थे। अपीलांट के पिता दलपतसिंह की कब्जा काश्त की खातेदारी की भूमि खेत खसरा नं. 39, 63, 81, 185, 173, एवं 63/1 ग्राम देड़ा अपीलांट के भाई गोविंदसिंह, राजेन्द्रसिंह, विरेन्द्रसिंह पिसरान् दलपतसिंह अकेले के नाम दर्ज कर दी, जबकि कानूनन हिंदु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार मृतक के प्रथम श्रेणी विधिक उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए था। इस कारण वादीनी के पिता का जब स्वर्गवास हुआ, तब अपीलांट के पिता स्व. दलपतसिंह के नाम संयुक्त कब्जा काश्त की खातेदारी की भूमियॉ में वादीनी का नाम भी विधि अनुसार दर्ज किया जाना था, परन्तु राजस्व अधिकारियों के बाबत किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकार की कोई जांच नहीं की गई था केवल मृतक दलपतसिंह के लड़को के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर दिया गया, जबकि अपीलांट मृतक दलपतसिंह की पुत्री होने के बावजूद अपीलांट का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं किया गया। उक्त वादग्रस्त भूमियाँ अपीलांट की पैतृक खातेदारी की कृषि भूमिया है। राजेन्द्रसिंह पुत्र दलपतसिंह के अविवाहित फौत हो जाने पर उक्त विवादग्रस्त भूमियों की खातेदारी गोविंदसिंह व विरेन्द्रसिंह के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार वर्णित भूमियो में अपीलांट का 1/3 हिस्सा बनता है। रेस्पोडेंट्स द्वारा विधि विरुद्ध किये गये बेचाननामे अपीलार्थीनी के हिस्से तक शून्य एवं अवैध है। अपीलार्थीनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। जिससे अपीलांट को अपूरणीय क्षति हुई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 दिसंबर 2020 को निरस्त किया जावे एवं प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में वांछित अनुतोष को प्रदान कियो जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। कब्जे काश्त के अभाव में कानूनन अस्थाई निषेधज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की है जो पोषणीय नहीं है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख खतौनी बंदोबस्त संवतः 2013-2032 ग्राम देडा तहसील शेरगढ के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात वक्त सेटलमेंट सें अपीलांट के पिता दलसिंह वल्द पाबुदानसिंह 1/2, खुशालसिंह वल्द धोकलसिंह कौम राजपूत सा.देह हिस्सेदार जागीरदार धड़ा अमरसिंह जी वाला के नाम से दर्ज रही है। वादग्रस्त आराजी स्व. दलसिंह उर्फ दलपतसिंह की खातेदारी की भूमि होने तथा अपीलार्थीनी स्व. दलसिंह उर्फ दलपतसिंह की जायंदा पुत्री होने से विरासतन उसका विरासतन हिस्से की अधिकारिणी ठहरती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

चूंकि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण होना शेष हैं। लिहाजा मामला विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 दिंसबर 2020 अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24 अगस्त 2023 को उपस्थित रहे। तब तक न्यायालय हाजा का स्थगन आदेश दिनांक 14.12.2020 प्रभावी रहेगा।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.07.2023

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर